भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2366
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

2366. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के तहत प्राप्त होने वाले अंशदान में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारी गिरावट आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक एनएसडीएफ के तहत प्राप्त अंशदान का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गई प्रतिशत गिरावट वर्ष-वार कितनी है,

(ग) अंशदान में आई भारी गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या अंशदान में गिरावट से खिलाड़ियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या सरकार का एनएसडीएफ के कामकाज और शासन संरचना की समीक्षा करने का प्रस्ताव है,

(च) क्या सरकार इस बात अवगत है कि एनएसडीएफ का प्रशासन 12 सदस्यीय परिषद द्वारा चलाया जाता है। अनुदान अधिकारियों की एक छोटी समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,और

(छ) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसडीएफ के तहत सभी अनुदान स्वीकृतियाँ समीक्षा के लिए पूर्ण शासी परिषद के समक्ष रखी गई थीं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत देश में खेलों के विकास संबंधी पहलों को सहयोग प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पीएसयू) तथा निजी कॉर्पोरेट दानकर्ताओं से निरंतर अंशदान प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान की राशि में परिवर्तन हुआ है, तथापि सरकार खेलों के संवर्धन हेतु विभिन्न हितधारकों से संसाधनों का जुटान निरंतर कर रही है। पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत प्राप्त अंशदान का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त योगदान (₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2023-24	85.26
वित्तीय वर्ष 2024-25	70.16
वित्तीय वर्ष 2025-26	37.02

(घ): अंशदान में आई कमी का खेल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन अथवा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत एथलीटों के प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर तथा अन्य अनुमोदित गतिविधियों के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत प्राप्त अंशदान, सरकार के समतुल्य अंशदान तथा उपलब्ध निधि-कोष के माध्यम से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो, जिससे खेल अवसंरचना तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के विकास संबंधी कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित होते रहें।

(ङ): सरकार ने कॉर्पोरेट सहभागिता बढ़ाने तथा संसाधनों के बेहतर संकलन के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय प्रारंभ किए हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) परिषद का पुनर्गठन करते हुए उसमें प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्षों तथा प्रबंध निदेशकों को शामिल किया गया है, जिससे हितधारकों की सहभागिता सुदृढ़ हुई है तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अपेक्षाओं का राष्ट्रीय खेल प्राथमिकताओं के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित हुआ है।

(च) और (छ): राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) का गठन पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत किया गया है तथा इसकी बहु-स्तरीय शासन व्यवस्था है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता वाली एनएसडीएफ परिषद समग्र नीतिगत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती है, जबकि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति निधि के दैनिक संचालन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने तथा वित्तीय सहायता अनुमोदित करने के लिए सशक्त है। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित सभी वित्तीय सहायता, परियोजना प्रस्ताव तथा स्वीकृतियां, उनकी पुष्टि/अनुसमर्थन के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि

(एनएसडीएफ) परिषद की समय-समय पर आयोजित बैठकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा अनुमोदित शासन व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित होता है।
